

प्रेषक,

राजीव कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2018

विषय:- प्रदेश में रिक्त चल रही उचित दर दुकानों को विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 12/2017/1926/29-6-2017-162सा/01, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विशेष अभियान चलाकर रिक्त लगभग 4000 उचित दर दुकानों को एक माह में भरे जाने के निर्देश दिए गये थे। तत्क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त 3482 के सापेक्ष 1237 एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त 322 दुकानों के सापेक्ष 10 उचित दर दुकानों की नियुक्ति की जा चुकी है।

2- शासन स्तर पर की गयी समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है ग्रामीण क्षेत्र में 2245 एवं शहरी क्षेत्र में 312 उचित दर दुकानों का चयन अवशेष है। इस प्रकार रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति न होने से आम उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17 अगस्त, 2002 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित आरक्षण का आंकलन करते हुए ग्राम सभावार खुली बैठक कर उचित दर दुकानों का चयन दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये। प्रत्येक ब्लाक हेतु एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाये।

(2) इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन करते हुए तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17 अगस्त, 2002 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में रिक्तियों का आंकलन कर लें तथा रिक्त उचित दर दुकान सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रकाशन कराते हुए आवेदनकर्ताओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से आवेदन प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष लॉटरी पद्धति के माध्यम से दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

(3) उपर्युक्तानुसार चयनित ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की उचित दर दुकानों की नियुक्ति शासनादेश में दी गयी प्रक्रियानुसार नियुक्त प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाये।

(4) जिलाधिकारी द्वारा उक्त समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण अपने स्तर से करते हुए प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी एवं साप्ताहिक प्रगति से प्रत्येक सप्ताह आयुक्त, खाद्य एवं रसद को निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित की जायेगी।

4- अतः तत्काल अपने मण्डल/ जनपद में उचित दर दुकान सम्बन्धी रिक्तियों की समीक्षा कर लें तथा उपरोक्तानुसार विशेष अभियान चलाते हुए एक माह की अवधि में समस्त रिक्त उचित दर दुकानों को नियमानुसार नियुक्ति कराना सुनिश्चित करें। एतदर्थ आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

मुख्य सचिव।

संख्या-1/2018/2828(1)29-6-2017तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 50प्र0, लखनऊ।
- 2- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) 50प्र0।
- 3- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, 50प्र0।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( डा0 अशोक चन्द्र )

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**उचित दर दुकानों के चयन के सम्बन्ध में सूचना**

क्र. सं.	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	कुल रिक्त उचित दर दुकानों की संख्या (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति)		अभियान के दौरान चयनित दुकानों की संख्या		चयन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही				अवशेष रिक्त दुकानों की संख्या		
							ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण	शहरी	
			ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	उ0द0दु0 की संख्या जिनमें ग्रामसभा की बैठक की तिथि निर्धारित	उ0द0दु0 की संख्या जिनमें ग्रामसभा की बैठक की तिथि निर्धारित नहीं (कारण सहित)	उ0द0दु0 की संख्या जिनमें विज्ञापन/लाटरी की तिथि निर्धारित	उ0द0दु0 की संख्या जिनमें विज्ञापन/लाटरी की तिथि निर्धारित नहीं (कारण सहित)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।